6

पत्र सं0–13/मुक0–08–38/2024................../

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

**(अत्यावश्यक)** गुंजन कुमार,
**कोर्ट केस/** अवर सचिव (प्रबंधन)।
**स्पीड पोस्ट**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
नगर विकास प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक–

विषयः– सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– /2024, पवन कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में तथ्य कथन तैयार कराने के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक–3866 दिनांक 26.09.2024 एवं विभागीय स्मार पत्रांक–4215 दिनांक 24.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे श्री पवन कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सेवान्त लाभ का भुगतान की माँग करने से संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुए कृत्त कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने निमित्त अनुरोध किया गया था एवं इस संबंध में स्मारित भी किया गया था, परन्तु आदिनांक कोई सूचना विभाग में अप्राप्त है।

अतः पुनः स्मारित करते हुए अनुरोध है कि श्री कुमार द्वारा दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कृपा की जाय एवं कृत्त कार्रवाई से विभाग को अवगत करायी जाय।

**कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – पटना/दिनांक –

प्रतिलिपिः– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक – 978 पटना/दिनांक – 05.3.2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)। 05/03/25